न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)–पीलीभीत।

दीवानी प्रकीर्ण वाद सं0. 19 /2018

राकेश मण्डल व अन्य बनाम बैंक आफ बडौदा व अन्य

अन्तर्गतधारा– 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिनांकः 27.02.2018

आज यह वाद विविध प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा–80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ प्रस्तुत किया गया। विविध प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा–80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बल देने हेतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/ निस्तारण विविध प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता लंच बाद प्रस्तुत हो।

प्रभारी/सिविल जज (जू0डि0)
पीलीभीत।

दिनांकः 27.02.2018

प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से प्रार्थनापत्र 4–क धारा–80 (2) के अन्तर्गत दिये जाने वाले नोटिस की बाध्यता को समाप्त करते हुये दावा योजित किये जाने की याचना करते हुये इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण वादीगण से अवैध रूप से बिना किसी हक व अधिकार के मु02,25,000/–रू0 की रिकवरी करना चाहते है तथा वादीगण की सम्पत्ति को अवैध रूप से हडपना चाह रहे है। वादीगण ने समस्त कर्जा अदा कर दिया है। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का मामला त्वरित प्रकृति का है यदि उत्तर प्रदेश राज्य को धारा–80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया जाता है और निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा की जाती है तो तब तक प्रतिवादीगण वादीगण की सम्पत्ति पर कब्जा कर लेगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण/आवेदकगण का मामला त्वरित प्रकृति का है। इस प्रकार प्रार्थीगण/आवेदकगण द्वारा धारा– 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नोटिस की बाध्यता से उन्मुक्त करते हुये दावा योजित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र 5–ग प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिये गये आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं। प्रार्थी/ आवेदक का मामला त्वरित प्रकृति का है। यदि प्रार्थीगण/आवेदकगण को नोटिस की बाध्यता से उन्मुक्ति प्रदान न की गयी तो उसे अपूर्णनीय क्षति पहुंचने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त तथ्यों एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4–क न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 4–क न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण/आवेदकगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा– 80 (2) सी0 पी0 सी0 के नोटिस देने की वाध्यता से उन्मुक्ति प्रदान करते हुये वाद योजित करने अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई मुन्सरिम आख्या के पश्चात दिनांक 28.02.2018 को प्रस्तुत हो।

प्रभारी/ सिविल जज (जू0डि0)
पीलीभीत।
27.02.2018